

बिहार सरकार  
लघु जल संसाधन विभाग,  
मुख्यालय अनुश्रवण

संचिका संख्या:- ल0सि0मो0- CMdash-05/2020 1450 (मो)

/पटना,दिनांक:- 20-07-2020

प्रेषक,

ई0 रवीन्द्र कुमार सिंह,  
अधीक्षण अभियंता,  
मुख्यालय अनुश्रवण,  
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,  
लघु सिंचाई अंचल पटना।

विषय:- बिहटा अंचल, मौजा-दोघड़ा के खाता संख्या-436 खेसरा संख्या-1170 के अंश भाग पर बने दो कमरों का दलान एवं गौशाला को विधि विरुद्ध तरीके से नेस्तानाबुम करने एवं साक्ष्य समाप्त करने के संबंध में।


प्रसंग- इस कार्यालय के पत्रांक 1263 (मो) दिनांक 22.06.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच कर कृत कार्रवाई की प्रति इस कार्यालय को दी जाय ताकि आवेदक को इसकी सूचना दी जा सके।

अनु0-यथावत्।

विश्वासाजन


  
अधीक्षण अभियंता (मु0)  
अनुश्रवण

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक- 1450 (मो)

/पटना, दिनांक- 20-07-2020

प्रतिलिपि:- उप सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आई0डी0 क्रमांक 26/2020 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

  
अधीक्षण अभियंता (मु0)  
अनुश्रवण

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

संसाधन-लघुजल-संसाधन-C.M-e-dash-05/2020-  
प्रेषक,

1263(मौ) / पटना, दिनांक-22/6/2020

ई0 रवीन्द्र कुमार सिंह,  
अधीक्षण अभियन्ता,  
(मुख्यालय) अनुश्रवण,  
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता,  
लघु सिंचाई अंचल, पटना।

विषय:- बिहटा अंचल, मौजा-दोघड़ा के खाता संख्या-436, खेसरा संख्या-1170 के अंश भाग पर बने दो कमरों का दलान एवं गौशाला को विधि विरुद्ध तरीके से नेस्तानाबुत करने एवं साक्ष्य समाप्त करने के सम्बन्ध में।


प्रसंग:- श्री चित्रसेन प्रसाद यादव, पिता-श्री पोखन प्रसाद यादव, ग्राम+पोस्ट-दोघड़ा, थाना-बिहटा, जिला-पटना से प्राप्त आवेदन संख्या-शून्य, दिनांक-28.04.2020 महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में श्री चित्रसेन प्रसाद यादव, पिता-श्री पोखन प्रसाद यादव, ग्राम+पोस्ट-दोघड़ा, थाना-बिहटा, जिला-पटना द्वारा सूचित किया गया है कि पटना जिलान्तर्गत बिहटा अंचल, मौजा-दोघड़ा के खाता संख्या-436, खेसरा संख्या-1170, गैर मजरूआ आम आहर अजगरा नदी पर जमीन है, जिसके अंश भाग-01 कट्टा लगभग उनके पिता-पोखन प्रसाद यादव के द्वारा 30-35 वर्ष पूर्व में ही ईट एवं खपरैल का दलान बनाया गया था। जिसमें दो कमरों के साथ गौशाला भी था, जिसे संवेदक अम्बिका प्रोजेक्ट्स एवं कार्यकारी एजेन्सी लघु सिंचाई प्रमण्डल, पटना के कर्मचारियों के द्वारा स्थानीय असामाजिक दंबंग श्री ओम प्रकाश यादव, पिता-श्री नवाब यादव, ग्राम+पोस्ट-दोघड़ा, थाना-बिहटा के उकसाने पर बिना किसी प्रशासन के उपस्थिति में दिनांक-26.04.2020 (रविवार) को दोपहर 1:30 बजे दलान के पोपलेन एवं जे0सी0बी0 मशीन के द्वारा पूरी तरह से नेस्तानाबुत कर अन्य सामानों को जमीन में दबा कर उसके उपर चार-पांच फीट मिट्टी डाल कर बराबर कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने 250000.00 रुपये की व्यक्तिगत आर्थिक क्षति का उल्लेख भी किया है।

प्रासंगिक पत्र की छाया-प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच करते हुए दोषी व्यक्तियों, संवेदकों एवं कार्यकारी एजेन्सी पर उचित कार्रवाई के साथ ही सूचना विभाग को अविलम्ब उपलब्ध करायी जाय।


अनु0-यथोक्त।

विश्वासमूर्तिन,

  
अधीक्षण अभियन्ता,  
(मुख्यालय) अनुश्रवण,  
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक- 1263(मौ) / पटना, दिनांक-22/6/2020


प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, पटना / मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अधीक्षण अभियन्ता,  
(मुख्यालय) अनुश्रवण,  
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक- 1263(मौ) / पटना, दिनांक-22/6/2020

प्रतिलिपि- श्री चित्रसेन प्रसाद यादव, पिता-श्री पोखन प्रसाद यादव, ग्राम+पोस्ट-दोघड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।



अधीक्षण अभियन्ता,  
(मुख्यालय) अनुश्रवण,  
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।